

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11989/5218

दिनांक :- 18/02/2020

कार्यालय आदेश

श्रीमती खुशबू खुमियादा [लिंक न . 11989] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, डा0 सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जोधपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/03/2018 से 30/03/2018 तक -11 दिवस

(चिकित्सा प्रमाण के आधार पर)

दिनांक 11/12/2018 से 31/12/2018 तक - 21 दिवस

(चिकित्सा प्रमाण के आधार पर)

दिनांक 04/12/2018 से 06/12/2018 तक - 3 दिवस

(चिकित्सा प्रमाण के आधार पर)

दिनांक 14/02/2019 से 16/02/2019 तक -3 दिवस

(चिकित्सा प्रमाण के आधार पर)

कुल 38 दिवस

उक्त कुल 38 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्रीमती खुशबू खुमियादा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 07/12/2018, 08/12/2018, 09/12/2018, 17/02/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11989/5218

दिनांक :- 18/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, डा0 सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जोधपुर
2. कोषाधिकारी जोधपुर
3. श्रीमती खुशबू खुमियादा [11989] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, डा0 सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जोधपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(मुकुन्द सोहोनी)
(निदेशक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)